न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 243/2018

अनवान :

हनुमानसिंह पुत्र देवीसिंह जाति निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. परमेश्वरी देवी पत्नी देवीसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गायत्री } पुत्रियान देवीसिंह जाति जाट
4. सुमन } निवासीगण किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
5. सुमन
6. आईसीआईसीआई बैंक शाखा सिद्धमुख जरिए शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादीगण

निर्णय दिनांक : 24-02-202

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 100/9 के खसरा सं0 74 की 1.5050 है0 खसरा सं0 81 की 0.0380 है0, खसरा सं0 85 की 0.9240 है0, खसरा सं0 102 की 0.4160 है0, खसरा सं0 226 की 2.7130 है0, खसरा सं0 324/172 की 2.9410 है0, खसरा सं0 326/227 की 1.8970 है0 कुल खसरा 7 की कुल 10.4340 है0 कृषि भूमि देवीसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को कुल भूमि विरासतन में अपने पिता श्योचन्द से प्राप्त हुई है। पक्षकारान का परिवार संयुक्त परिवार है। चूंकि वाद भूमि पुश्तैनी संयुक्त परिवार की आय से अर्जित कृषि भूमि थी इसलिए वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का बहिस्सा बराबर हक है। प्रतिवादी सं0 3 ता 5 की शादी हो चुकी है और वह अपनी ससुराल में राजीखुशी से निवास कर रही है। प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा का मौखिक रूप से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

और अपने अपने हिस्से का कब्जा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर कर अपना हक शुन्य कर लिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने इकबालदावे पेश किये। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 6 को तर्क किया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी हनुमानसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्र प्रतिलिपि प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम किराड़ाछोटा प्रदर्श 1 व 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम किराड़ाछोटा खाता सं0 44/100–99 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम किराड़ाछोटा खाता सं0 99/99 सम्वत् 2068–71, चित्रप्रति जन्म प्रमाण पत्र सुमन पुत्री देवीसिंह, विवाह प्रमाण पत्र सुमन पुत्री देवीसिंह पत्नि नवज्योत सिंह, चित्रप्रति आधार कार्ड सुमन पत्नि बनवारी, चित्रप्रति राशनकार्ड बनवारी पुत्र रामसिह पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का भी जन्म से हक निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम किराड़ाछोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन में अपने पिता श्योचन्द से प्राप्त हुई है। वाद भूमि पुश्तैनी संयुक्त परिवार की आय से अर्जित कृषि भूमि थी। प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है जिसकी पुष्टि में वादी ने चित्र प्रतिलिपि प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम किराड़ाछोटा प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्शित करवाये है व चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम किराड़ाछोटा खाता सं0 99/99 सम्वत् 2068–71 पेश की है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा श्योचन्द वल्द दानाराम के नाम दर्ज जिससे वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 देवीसिंह को विरासतन प्राप्त होना व वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपने इकबालदावों में दावा की सभी मदों को स्वीकार कर मुताबिक अनुतोष वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में देवीसिंह के वारिसान में पत्नी परमेश्वरी, एक पुत्र हनुमानसिंह, तीन पुत्रियां गायत्री, सुमन व सुमन होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 100/9 के खसरा सं0 74 की 1.5050 है0 खसरा सं0 81 की 0.0380 है0, खसरा सं0 85 की 0.9240 है0, खसरा सं0 102 की 0.4160 है0, खसरा सं0 226 की 2.7130 है0, खसरा सं0 324/172 की 2.9410 है0, खसरा सं0 326/227 की 1.8970 है0 कुल खसरा 7 की कुल 10.4340 है0 कृषि भूमि देवीसिंह के नाज राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 देवीसिंह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बरबार के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पत्रा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

(मुकेश बारठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 243/2018

अनवान :

हनुमानसिंह पुत्र देवीसिंह जाति निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. परमेश्वरी देवी पत्नी देवीसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गायत्री
4. सुमन
5. सुमन

पुत्रियान देवीसिंह जाति जाट निवासीगण किराड़ाछोटा तहसील भादरा।

6. आईसीआईसीआई बैंक शाखा सिद्धमुख जरिए शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 100/9 के खसरा सं0 74 की 1.5050 है0 खसरा सं0 81 की 0.0380 है0, खसरा सं0 85 की 0.9240 है0, खसरा सं0 102 की 0.4160 है0, खसरा सं0 226 की 2.7130 है0, खसरा सं0 324/172 की 2.9410 है0 खसरा सं0 326/227 की 1.8970 है0 कुल खसरा 7 की कुल 10.4340 है0 कृषि भूमि देवीसिंह के नाज राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 देवीसिंह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बरबार के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़